105

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 315-एक/2015 - विरूद्ध आदेश दिनांक 23-10-2012 - पारित द्वारा - आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल - प्रकरण कमांक 284/2009-10 अपील

अजयकुमार यादव पुत्र गयाप्रसाद
ग्राम कोदईली तहसील अनूपपुर
जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश
---आवेदक

विरूद्ध

1- पूरन प्रसाद 2- चिन्ता
3- गयाप्रसाद पुत्रगण स्वर्गीय भूपत यादव
ग्राम कोदईली तहसील अनूपपुर
जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश
---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक 1,2 के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
(अनावेदक 3 के अभिभाषक श्री पी0के0तिवारी)

आ दे श

(आज दिनांक 09 - 03 -2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्रकरण कमांक 284/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-10-2012 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम कौदैली स्थित भूमि कुल किता 10 कुल रकबा 6-749 हैक्टर के भूपतराम सहभूधारी थे, जिनकी मृत्यु उपरांत वारिसान के आधार पर पटवारी ने ग्राम की नामांत्रण पंजी के सरल कमांक 9 पर दिनांक 19-10-2006 को वारिसाना नामान्तरण की प्रविष्टि दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की, किन्तु अनावेदक कमांक 3 ने पॅजीकृत बसीयत दिनांक 6-6-2006 के आधार पर

आपत्ति प्रस्तुत की। फलतः हलका पटवारी ने नायव तहसीलदार अनूपपुर को तदाशय का प्रतिवेदन दिनांक 30-10-2006 प्रस्तुत किया। नायव तहसीलदार वृत्त फुनगा तहसील अनूपपुर ने प्रकरण कमांक 29 अ-6/2007-08 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 25-1-2008 पारित किया एंव पॅजीकृत बसीयत के आधार पर भूमि सर्वे कमांक 113/7, 668/12 एंव 669/19 (नायव तहसीलदार के आदेश में गलत लेखन 669/15) पर बसीयतग्रहीता आवेदक का एंव शेष भूमि पर मृतक भूपतराम के वारिस अनावेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक कमांक 1 एंव 2 ने अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर ने प्रकरण कमांक 78/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-4-2010 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक क. 1 एंव 2 ने आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने प्र0क0 284/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-10-2012 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि यह निर्विवाद है कि ग्राम कौदेली की भूमि सर्वे कमांक 113/7, 668/12 एंव 669/19 के रिकार्डेड भूमिस्वामी स्वर्गीय भूपतराम यादव रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवनकाल में इन भूमियों को पॅजीकृत बसीयत दिनांक 06 जून 2005 से अजयकुमार यादव पुत्र गयाप्रसाद (आवेदक) को प्रदान की है। बसीयत का पद 2 इस प्रकार है :-

मैं बसीयतकर्ता ग्राम कोदेली पटवारी हलका खांडा नं 45 तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर म0प्र0 की आराजी खसरा क0 113/7 रकबा 1.250 है, आराजी खसरा नं0 668/12 रकबा 1.234 है, एंव ख.नं. 669/19 रकबा 0.809 है. भूमियों जो मेरे स्वतंत्र खाते की हैं व ग्राम कोदेली की ही आराजी जो सहखाते की है का भी बसीयत जो मेरे हिस्से में आती है का भी बसीयत बसीयत ग्रहीता अजयकुमार यादव के पक्ष में करता हूॅ। उक्त भूमियों के अलावा मेरे हिस्से का मकान, कुआ, बाड़ी, सोना, चांदी रूपया पैसा जो भी है का बसीयत बसीयतग्रहीता के पक्ष में करता हूॅ।

पॅजीयत बसीयतनामा साक्ष्य व्दारा प्रमाणित होने के कारण नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 25-1-2008 से बसीयतग्रहीता का उक्त तीनों सर्वे नंबरों पर एंव मृतक भूपतराम के नाम की शेष भूमियों पर उसके वारिस अनावेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया है। नायव तहसीलदार के आदेश एंव प्रकरण में आये तथ्यों का परीक्षण करने अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर ने आदेश दिनांक 27-4-2010 से अपील अस्वीकार की है । नायव तहसीलदार के प्रकरण में आई साक्ष्य एंव अभिलेख तथा आदेश दिनांक 25-1-2008 के में की गई विवेचना, अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर व्दारा आदेश दिनांक 27-4-2010 में की गई विवेचना तथा आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल व्दारा आदेश दिनांक 23-10-2012 में की गई विवेचनाओं के अवलोकन पर स्थिति यह है कि क्या अभिलिखित भूमिस्वामी व्दारा की गई पॅजीकृत बसीयत के प्रमाण को अनदेखा किया जा सकता है ?

एस.आर. श्री निवासराव बनाम एस.पदमावथम्मा 2010(5) सु0को0 274 : 2010(2) सु0को0 के0(सिविल) 365 सु.को. में स्वीकृति वावत् अभिमत व्यक्त किया है कि स्वीकृत किये गये तथ्यों के वावत यदि स्पष्ट स्वीकृति हो तो यह श्रेष्ठ प्रमाण के रूप में होती है। इसे निर्णायक होना माना जा सकता है जब तक कि इसे सफलतापूर्वक वापिस न लिया गया हो अथवा त्रृटिपूर्ण होना प्रमणित न किया गया हो।

पॅजीकृत बसीयत साक्ष्य से प्रमाणित है एंव तहसील न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनवाई का एंव साक्ष्य का पूर्ण अवसर दिया गया है। तहसील न्यायालय के आदेश को प्रथम अपील न्यायालय ने पुष्टिकृत किया है - मामला पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करना पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाने की श्रेणी में है। क्योंकि पॅजीकृत दस्तावेज की बैधता को शून्य घोषित करने अथवा शून्य मानने की शक्तियां राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस सम्बन्ध में आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल व्दारा आदेश दिनांक 23-10-2012 में निकाले गये निष्कर्ष उचित नहीं हैं।

5/ अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमियॉ पैत्रिक संपत्ति हैं जिसके कारण स्वर्गीय भूपतराम यादव को भूमि के विवादित भाग को बसीयत करने के अधिकार नहीं थे। नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 25-1-2008 के पृष्ठ 2 एंव 3 में की गई विवेचना इस प्रकार है :'

'' अब प्रश्न यह उठता है कि क्या बसीयतकर्ता को बसीयत की अधिकारिता थी ? इस संबंध में बसीयत में उल्लेख है कि एकल खाते की भूमियों के अतिरिक्त सहखाते की भूमियों में चौथाई हिस्सा की बसीयत की जा रही है। ''

यदि यह माना जावे कि वाद विचारित भूमियां स्वर्गीय भूपतराम को बटवारे के माध्यम में प्राप्त हुई है तब क्या वह ऐसी भूमियों की बसीयत की जा सकती हैं ?

टी.आई.टी. बनाम एम.कार्तिके 1994 सप्लीमेंटी सु.को. के. 112 में प्रतिपादित किया गया है कि पिता की निजी संपत्ति से पुत्र को जो विरासत में अंश प्राप्त हुआ हो उस संबंध में मत व्यक्त किया गया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 से शासित होगी और उसकी निजी संपत्ति के रूप में होगी।

अनावेदकगण के अभिभाषक ने वाद विचारित भूमि में पैत्रिक संपत्ति होने के आधार पर पॅजीकृत बसीयत को निष्प्रयोज्य मानते हुये भूमि अनावेदकगण की पैत्रिक होना बताते हुये स्वत्व की मांग की है जबकि स्वत्व के सम्बन्ध में विवाद के निराकरण की शक्तियॉ राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है - उपचार सिविल वाद है, किन्तु इन तथ्यों पर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने आदेश दिनांक 23-10-2012 पारित करते ध्यान न देते हुये नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 25-1-2008 एंव अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के आदेश दिनांक 27-4-2010 को निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल का आदेश दिनांक 23-10-2012 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल व्दारा प्रकरण कमांक 284/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-10-2012 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर